तारीख हुक्म की जारी हुए

निगरानी सं0 19/2014 अनवानी ओम प्रकाश आदि बनाम ग्राम पंचायत फतहगढ ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29.11.19 अभिभाषक निगरानीकर्ता उपस्थित। दिनांक 28.11.19 को बहस सुनी गयी। बहस के समय अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 उपस्थित नहीं आये। अभिभाषक निगरानीकर्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि निगरानीकर्ता की माता मनीदेवी के नाम भूखण्ड का पटटा 41 वर्ष पूर्व जारी है। उनकी मृत्यु 18.12.94 को होने के बाद अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ग्राम पंचायत फतहगढ के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रश्नगत भूखण्ड अपने अकेले के नाम 23.12.95 को करवा लिया। इस संबंध में आक्षेपित इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व मनीदेवी के जायज व कानूनी वारिसान को ना तो नोटिस दिया ना ही सुना गया। अप्रार्थी सं0 2 अकेले के नाम मनीदेवी के नाम का भूखण्ड करने से प्रार्थीयान के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इसलिए प्रश्नगत इन्तकाल निरस्त कर मनीदेवी के समस्त वारिसान के नाम उक्त भूखण्ड का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत फतहगढ के मूल इन्तकाल रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसकी कम सं0 88 पर मनीदेवी पत्नी सहीराम के नाम 500 दरगज का भूखण्ड होना दर्ज है। मनीदेवी की मृत्यु 18.12.94 को हुई व पुत्रों व सहीराम की तरफ से हल्फीया बयान दिया कि विनोद कुमार पुत्र सहीराम के नाम किया जाता है। इस नोट से स्पष्ट होता है कि स्व0 मनीदेवी के समस्त वारिसान को नहीं सुना गया, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार मृतक के सभी वारिसान को विधिवत सुना जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत फतहगढ द्वारा दिनांक 23.12.95 को मनीदेवी के नाम का भूखण्ड विनोद कुमार के नाम किये जाने में कानूनी भूल की है। अतः ग्राम पंचायत फतहगढ द्वारा दिनांक 23.12.95 को मनीदेवी के नाम का भूखण्ड विनोद कुमार के नाम किये गये इन्तकाल को निरस्त किया जाकर प्रकरण पंचायत समिति हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व0 मनीदेवी के समस्त वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति पंचायत समिति हनुमानगढ को भेजी जावे तथा एक प्रति ग्राम पंचायत को उनकेरिकार्ड सहित भेजी जावे। पत्रावचली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 29.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) (अशोक असीजा) अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner